विलंब संबंधी विवरण

विधि कार्य विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान भारतीय विधि संस्थान (आईएलआई) को सहायता अनुदान के रूप में 4.00 करोड़ रु० की धनराशि जारी की थी। अनुदान की शर्तों के अनुसार भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा-परीक्षित लेखा को संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 9 माह के भीतर संसद के दोनो सदनों के पटल पर रखा जाना अपेक्षित है। तथापि, प्रशासनिक कारणों की वजह से भारतीय विधि संस्थान की वर्ष 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा-परीक्षित लेखा निर्धारित अवधि के भीतर सदन के पटल पर नहीं रखा जा सका।

*****